

**बिहार सरकार**  
**मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग**

**आदेश 1726**

श्रीमती मंजु कुमारी, सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध के कैमूर, भभुआ पदस्थापन अवधि में मद्यनिषेध थाना कांड सं०-830/2024 दिनांक 26.10.2024 के अभियुक्त रजनीश कुमार उर्फ चंदन कुमार के विरुद्ध माननीय न्यायालय, कैमूर में ससमय आरोप पत्र समर्पित नहीं किये जाने के मामले में जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ द्वारा आरोप पत्र गठित करने की अनुशंसा की गई।

2. मामला है कि श्रीमती कुमारी द्वारा मद्यनिषेध थाना कांड सं०-830/2024 दिनांक 26.10.2024 के अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में ससमय आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को धारा-167 (2) दं०प्र०सं०/187(3) भा०नु०सु०सं० का लाभ प्रदान करते हुए जमानत का लाभ प्रदान कर दिया गया।

3. मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश से श्रीमती कुमारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित की गई। गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-851 दिनांक 24.02.2025 द्वारा बचाव बयान की मांग की गई। श्रीमती कुमारी द्वारा अपने बचाव बयान में प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत मामले में विलंब का कारण मेरी तबीयत खराब होना कार्य की अधिकता एवं टावर लोकेशन प्राप्त नहीं होना है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बचाव बयान की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि तबीयत खराब होने की स्थिति में अन्य पदाधिकारी का सहयोग लिया जा सकता। श्रीमती कुमारी द्वारा तबीयत खराब होने के स्थिति में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अतएव इनका बचाव बयान स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः समुचित विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती मंजु कुमारी, सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध, कैमूर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(i) के तहत निंदन का दंड अधिरोपित किया गया है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

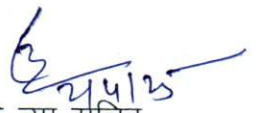
(संजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 8/अरा० उत्पाद आरोप-11/2025 1726

दिनांक- 03.04.25

प्रतिलिपि-संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध, बिहार, पटना/सभी उपायुक्त मद्यनिषेध/सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/सभी अधीक्षक मद्यनिषेध/प्रशाखा पदाधिकारी-7/श्रीमती मंजु कुमारी, सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध, कैमूर, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव,  
बिहार, पटना।